

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28761

दिनांक : 25/03/2020

आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के मद्देनजर जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(1)चिरवा/गुप-2/2020 दिनांक 22.3.2020 जिसके द्वारा राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1957 की धारा (2) के अन्तर्गत समस्त प्रदेश में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक पूर्णतः बन्द (Lock Down) घोषित किया गया है। उक्त लॉक डाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के संबंध में उपयोग में आने वाले वाहनों एवं संबंधित लोगों को अनुमति प्रदान करने बाबत निम्नानुसार सेल का गठन किया जाता है।

क्र.सं.	अधिकारी का नाम मय पदनाम
1.	श्री के.के. गोयल, सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ, बाड़मेर – नॉडल अधिकारी (मो-9414113459)
2.	श्री सुरेन्द्र प्रतापसिंह, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर – सहायक अधिकारी (मो-9462305078)

उपरोक्त अधिकारी बाड़मेर जिले से दूसरे जिले में, एक उपखण्ड से दूसरे उपखण्ड में परिवहन करने वाले वाहनों एवं लोगों (जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हों) के आवेदनों पर आवश्यकतानुसार अनुमति जारी कर सकेंगे।



(अंशदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35() ()आ.प्र. एवं सहा./Covid-19/2020/28762-67 दिनांक : 25/03/2020
प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
3. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर
4. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर
6. संबंधित श्री.....।


जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर



COVID-19
(MOST- URGENT)

वाहन/व्यक्ति हेतु अनुमति पत्र

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज.जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1) चिस्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 22.03.2020 की अनुपालना में जिला कलक्टर कार्यालय बाडमेर के आदेश क्रमांक/प.3500आ.प्र.एवं सहा./Covid-19/28511 दिनांक 22.03.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में जिले के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं में निरन्तरता रखने बाबत् **Lock Down** के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति हेतु वाहन की अनुमति बाबत् प्राप्त आवेदन के मद्देनजर इनके द्वारा किया गया आवेदन सही है। अतः श्री..... पुत्र श्री.....
.....निवासी
मोबाईल नं.कोसेतक
जाने के लिए वाहन सं.....में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाबत्
अनुमति प्रदान की जाती है।

यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री के पास उक्त अनुमति/पहचान पत्र होना आवश्यक है। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जावेगी।

उक्त अनुमति दिनांकको समय
से दिनांकसमय.....तक के लिए मान्य
है।

नॉडल अधिकारी